

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 36 /2020--सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जन-हित में आवश्यक है, एतद द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 119 (अ), दिनांक 14 फरवरी, 2020, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना अनुच्छेद 2 में उपवाक्य 1 के उप-उपवाक्य (ग) में, अंकों और अक्षरों - "31/03/2020" को अंकों, शब्दों और अक्षरों "31/03/2021 तक या उस तारीख तक जब आरओएससीटीएल स्कीम का निर्यात उत्पादों पर शुल्कों व करों की छूट की स्कीम में विलय कर दिया जाए, अथवा इन दोनों में से जो भी पहले हो", को प्रतिस्थापित किया जाता है।

[फा. सं. 605/14/2020-डीबीके]

गोपाल कृष्ण झा

निदेशक (प्रतिअदायगी)

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना सं. 13/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 119(अ), तारीख 14 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।